(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–इन्दौर

R-31-PBR/12

मेसर्स आर.के. कन्स्ट्रक्षन्स द्वारा षब्बीर अली पिता श्री सरदार अली कार्यालयीन पता पुलकसिटी, ग्राम निहालपुरमुण्डी तहसील व जिला इन्दौर (म. प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेष षासन द्वारा अधिकृत तहसीलदार एवं क्षेत्रीय हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक, कार्यालय तहसीलदार तहसील एवं जिला इन्दौर

...... अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 3.1.13 को प्रस्तुत
3-1-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय तहसीलदार तहसील एवं जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ–68/12–13 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम निहालपुरमुण्डी तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नम्बर 795/1, 788/9/1, 796/2, 796/4, 794/2, 788/2, 791/1, 790/3, 788/9/2, 788/3, 788/5, 788/8, 790/2, 798/1, 791/2, 794/1, 796/3, 797/2, 799/2, 800/2, 803/1, 795/2, 796/1, 797/1, 798/2, 799/3, 800/1, 788/1, 788/6, 788/7, 790/1, 791/3, 794/3, 801, 277 एवं 35 कुल खसरा नं. 35 कुल रकवा 16.217 हेक्टेयर पर आवासीय कॉलोनी विकसित की गई है।

2– यहकि, उक्त आवासीय कॉलोनी विकसित करने के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी एवं गर्वमेंट अथोरिटी द्वारा समय–समय पर अनुमतियां प्रदान की गई थी। तत्पष्चात् उपरोक्त कॉलोनी का विकास किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार इन्दौर द्वारा आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 17/ए–68/11–12 दर्ज कर एक सूचना–पत्र इस आषय का जारी किया गया कि षासकीय खसरा नं. 802 रकवा 1.659 हेक्टेयर के आंषिक क्षेत्रफल 1.466 तथा षासकीय भूमि सर्वे नं. 793 रकवा 0.243 के आंषिक क्षेत्रफल 0.010 पर बाउण्ड्रीवाल एवं भवन निर्माण व सड़क निर्माण के रूप में अतिक्रमण किया है जिसका विधिवत् जबाव आवेदक द्वारा दिया गया एवं बताया कि उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किये हैं वह सक्षम [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 31-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष रीडर	